

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत विरमोला- रायल
मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4665/111(2)/14-22 (प्रा0आ0)
/2014 दिनांक 23-09-2014 के द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश
संलग्न है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत


अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

1 2110

संख्या 659 / 11 (2) / 15 58(MO3MO) / 2013

प्राप्त

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कर्मचारी

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 23 जनवरी, 2015

विषय: उत्तराखण्ड चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत में विभिन्न 05 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

प्रति,

सर्वप्रथम विधायक आर.सदस्य सं. 11162 / 11 (2) / 15 58(MO3MO) / 2013 दिनांक 09.02-2014 के कम-म मूल सं. नं. 100 के अन्तर्गत प्राप्त है कि कर्तव्य पुराने अधिनियम लागू करने के अन्तर्गत चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत में स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 05 कार्यों के माध्यम से आगामी विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत में 01 से 04 से 05 तक तथा लागत ₹ 222.81 लाख में 12 टी070सी00 विधि द्वारा अधिनियम पूर्ण हुई गई लागत ₹ 222.51 लाख (दो करोड़ बाईस लाख इक्कावन हजार पांच) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में सहायक के कोलम सं. 5 पर उल्लिखित वितरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 05 कार्य हेतु ₹ 0.50 लाख (एक लाख हजार पांच) की धनराशि, अथवा हेतु आपके निवेदन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने हैं-

(क) - भवन निर्माण के अन्तर्गत विभाग द्वारा कराये गये प्रशासकीय कार्यों के समस्त रूप से पूर्ण किया जायेगा अन्तर्गत आर.सदस्य सं. 1764 / 11 (2) / 10 17(SA)MO / 2006 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार निर्माण परियोजना विभाग तैयार कर आगामी की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। निम्नलिखित परियोजना रिपोर्ट पर आर.सदस्य के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही विभाग कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) - आगामी में अधिनियम 1764 के अन्तर्गत विभाग के अधिनियम अधिनियम द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दर्जे की आर.सदस्य सं. 1764 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान है अन्तर्गत आगामी कार्य में ली गई है की स्वीकृति पर नियमानुसार आगामी अधिनियम के अन्तर्गत आगामी कार्य।

(ग) - कार्य पर लागत हो व्यय किया जाये चम्पावत की सीमा में ली गई है, स्वीकृति कार्य के अधिक व्यय कदापि न किया जाये यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृति की जा रही है तो चम्पावत की सीमा में ली गई है तो प्रत्येक सम्पादन निम्नलिखित आगामी कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

(घ) - कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी सुविधा के साथ चम्पावत रखने हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार ही कार्यों को सम्पादित कराये सम्पन्न करने सुनिश्चित करें।

(ङ) - आगामी में ली गई है कि स्वीकृति की गई है कार्य जारी मत में किया जाये एक मद की दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(च) - स्वीकृति किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रांतियोग सं. 100-2008 एवं उत्तराखण्ड विभाग में समस्त समस्त पर निर्णय समस्त दिशा निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऊपर प्रस्तुत के निर्देशों के अनुपालन किया जायेगा।

(छ) - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आर.सदस्य सं. 100 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा ली गई है कि कार्य करने समय या आगामी में कार्य करने समय कार्य के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आगामी में ली गई है कि कार्य करने समय या आगामी में कार्य करने समय कार्य के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऊपर प्रस्तुत के निर्देशों के अनुपालन किया जायेगा।

कोटो प्रति प्रमाणित

2015

सहायक अभियन्ता

प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.

आगत रकम राशियाँ 111020/15 5000000000 काय विभाग जनवरी, 2015 की राशियाँ (भनराशि लाख र में)

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणित राशि	प्रमाणित राशि	प्रमाणित राशि
1	अनुपम चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दशम चरणी मोटर गाड़ी का निगमन कार्य।	8.00	56.88	0.10
2	अनुपम चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दशम चरणी मोटर गाड़ी का निगमन कार्य।	10.00	71.10	0.10
3	अनुपम चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दशम चरणी मोटर गाड़ी का निगमन कार्य।	3.00	21.33	0.10
4	अनुपम चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दशम चरणी मोटर गाड़ी का निगमन कार्य।	5.00	15.55	0.10
5	अनुपम चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दशम चरणी मोटर गाड़ी का निगमन कार्य।	5.00	37.65	0.10
6	अनुपम चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दशम चरणी मोटर गाड़ी का निगमन कार्य।	36.00ml	222.51	0.50
	योग-	31.00		

(कुल र पचास हजार मात्र)
(ए०एस० पाण्डी)
काय विभाग

कोटो प्रति प्रमाणित
सहायक अतिरिक्त
प्रान्तीय रुण्ड, लो०।न० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

न्यायपाल्य काय भाग खोलने के लिए चालूपात हेतु

(a) संशोधन किसे जो रहे वहाँ की गुणवत्ता का सम्बन्धित हो वहाँ की संशोधन प्रक्रिया की अभिवृद्धि हो हो।

(ii) शीकृत किये जा रहे वार्डों की योजनाएँ एवं समन्वयन का अभाव है।
 (iii) वर्तमान में व्यय की अनुमति को 11 वीं मंजरी के तहत 31 मार्च 2015 तक प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि शीकृत किये के समय तक निर्धारित की गई अनुमति खर्ची है तो अलग रूप से मंजूर होना आवश्यक है।
 (iv) शीकृत किये जा रहे वार्डों में 11 वीं मंजरी के तहत 31 मार्च 2015 तक प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि शीकृत किये के समय तक निर्धारित की गई अनुमति खर्ची है तो अलग रूप से मंजूर होना आवश्यक है।

[illegible][illegible]

(2) - इस बात से भी ज्ञात होना चाहिये कि निर्माण कार्य के लिए अलग-अलग 10 दिनों तक अन्य सदस्य-आयोजनकर्ता को सूचित किया जायेगा।

अतः 22 नवम्बर 2014 तक निर्माण कार्य 24 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिये।

800 अगस्त 13 की योजना 02 की निर्माण कार्य 24 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिये।

अतः निर्माण कार्य-2 के अंशकारी संख्या- 690/XXVII/(2)/2014 दि०- 21 जनवरी, 2015 प्राप्त

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अधीन जारी किया जा रहा है।

संज्ञा-समाप्ति ।

1000

(अरविन्द सिंह हयात्की)
अमर सन्निव

11

(१०११० पानां)
१०११०

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता -
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)